



दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित छात्रों में स्मृति प्रदर्शन और संज्ञानात्मक रणनीतियाँ

सुमन चौधरी

शोधार्थिनी, शिक्षा विभाग

टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर, राजस्थान

शोध पर्यवेक्षक

प्रोफेसर (डॉ.) राजेन्द्र कुमार गोदारा

शिक्षा विभाग

टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर, राजस्थान

सार

मानव अपनी सूझ-बूझ, विवेक एवं सदज्ञान से निरंतर अग्रसर होने का दावा करता है, किंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शारीरिक व मानसिक विकारों के कारण समाज, परिवार और अपने आसपास से अलग-थलग पड़े हुए हैं। समाज इन्हें ही विकलांग कहता है। विकलांगता सबसे अनायास ही सहानुभूति का भाव प्रकट होता है, किंतु क्या सहानुभूति का भाव प्रकट करना पर्याप्त है? यद्यपि आज विभिन्न उपायों द्वारा विकलांगता पूर्ण रूप से समाप्त करना संभव नहीं है, फिर भी नवीन उपायों एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा विकलांगता कम की जा सकती है। वर्तमान समय में सामान्य बालकों की शिक्षा पर कितना ध्यान दिया जाता है उतना विकलांग बालकों की शिक्षा पर नहीं। विश्व में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से प्रत्येक दस में से एक बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग होता है। इस तथ्य से ही विकलांगता की भयावहता का अनुमान लगाया जा सकता है।

मुख्य शब्द: पिछड़े विद्यार्थियों, शैक्षिक

प्रस्तावना

शिक्षा का अर्थ है समाज एवं संस्कृति का अनुकूलन। जीवन की सभी घटनाओं और अनुकूलन के समूह का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिगम एवं समस्या / समाधान के अनुभव की अद्वितीय इकाई है जिनके द्वारा समाज एवं इसमें निहित घटनाओं के बारे में हमारे समक्ष उत्पन्न होती है। विश्व की घटनाओं को एकत्रित कर अनुभव इकट्ठा करती है। फिर भी यदि, हम अपना ध्यान पूरे समय बच्चे के विद्यालय पूर्व अधिगम एवं अनुदेशन से क्षेत्रीय शिक्षा तक में ही सीमित कर देते हैं तो, यह केंद्र या राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में समाहित हो सकता है। समाज में एक ऐसा वर्ग भी पाया जाता है जो अपनी विशेष स्थिति के कारण उपेक्षा का पात्र बना हुआ है। यह वर्ग है विकलांग लोगों का वर्ग जो हमारी सहानुभूति का नहीं बल्कि ऐसी सहायता का अभिलाषी है जो उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न कर सके और प्रकृति द्वारा दी गई विकलांगता से लड़ने में अपने आप को सक्षम बना सकें।

संपूर्ण सृष्टि में मानव प्रकृति की अनमोल कृति है। मानव अपनी सूझ-बूझ, विवेक एवं सदज्ञान से निरंतर अग्रसर



होने का दावा करता है, किंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शारीरिक व मानसिक विकारों के कारण समाज, परिवार और अपने आसपास से अलग-थलग पड़े हुए हैं। समाज इन्हें ही विकलांग कहता है। विकलांगता सबसे अनायास ही सहानुभूति का भाव प्रकट होता है, किंतु क्या सहानुभूति का भाव प्रकट करना पर्याप्त है? यद्यपि आज विभिन्न उपायों द्वारा विकलांगता पूर्ण रूप से समाप्त करना संभव नहीं है, फिर भी नवीन उपायों एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा विकलांगता कम की जा सकती है।

शोध की आवश्यकता :

वर्तमान समय में सामान्य बालकों की शिक्षा पर कितना ध्यान दिया जाता है उतना विकलांग बालकों की शिक्षा पर नहीं। विश्व में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से प्रत्येक दस में से एक बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग होता है। इस तथ्य से ही विकलांगता की भयावहता का अनुमान लगाया जा सकता है। यही कारण था कि वर्ष 1981 को "अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष" घोषित किया गया। इन विकलांग बच्चों का इस प्रकार से पालन-पोषण एवं शिक्षित करना आवश्यक है कि वह समाज की क्रियाशील सदस्य बन सके तथा कुशल जीवन यापन के साथ समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें।

भारत में विकलांगता की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि विश्व का आठवां विकलांग भारतीय है। चट्टोपाध्याय के अनुसार देश में 485 संस्थान विकलांगों की सहायता के लिए कार्यरत हैं, जिनमें से दृष्टि बाधित और श्रवण बाधितों के लिए 146 संस्थाएं हैं। कुल मिलाकर दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो कार्य हो रहा है वह संतोषप्रद नहीं है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि आज प्रत्येक विकलांग (दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अपंग) का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति समाज में उचित व सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता है। शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा जैसे खेल, योग क्रिया, चित्रकला प्रतियोगिता आदि द्वारा इस प्रकार के बच्चों में शारीरिक विकास व संवेगात्मक अस्थिरता तथा मानसिक संतुलन को बढ़ाया जा सकता है। इन क्रियाओं द्वारा उन शक्तियों को विकसित किया जा सकता है जो उसके भावी जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है।

इस विषय पर शोधकार्य नाममात्र के ही हुए हैं। पाश्चात्य देशों में अवश्य इस पर काफी शोध कार्य हुए हैं, परंतु भारत में इनकी संख्या नगण्य है। जबकि यहां साधन एवं सुविधाओं की कमी के कारण विकलांगता पर अध्ययन की तीव्र आवश्यकता है। बुद्धि व मानसिक क्षमता में किसी से कम ना होते हुए भी भारतीय समाज में विकलांगों को किंचित हेय दृष्टि से देखा जाता है - परिणामतः विकलांग स्वयं की हीन भावना के शिकार हो जाते हैं तथा समाज में समायोजित होने में कठिनाई प्रतीत करते हैं।

भारतीय समाज अभी भी रूढ़िवादिता से ग्रसित है। पुरानी मान्यताओं से उबरने के लिए विकलांगों से संबंधित



हर पहलू पर मनोवैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान, समय की आवश्यकता भी है एवं कर्तव्य भी। इस दिशा में काफ़ी शोध कार्य भी हुए हैं परंतु अधिकांशतः उनके विषय हैं - विकलांग जीवन की सफलता, विकलांग बच्चों की निर्भरता एवं संवेदनशीलता, सामान्य एवं विकलांग बच्चों की तुलना, बच्चों के प्रति माता-पिता का व्यवहार, विकलांगों की संवेदनशीलता, विकलांग एवं सामान्य बच्चों का तुलनात्मक विकास, मुक बधिर बालको की अध्ययन क्षमता, किशोरावस्था में समायोजन समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगों का अध्ययन आदि।

इस प्रकार विकलांगता पर अनेक शोध कार्य होने के बावजूद शोधकर्ता को प्रतीत हुआ कि दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित विद्यार्थियों में समायोजन, आत्म-अवधारणा और स्मृति पर विशेष अध्ययनों की कमी है। इस तथ्य ने शोधकर्ता को विकलांगों की समायोजन क्षमता, आत्म-अवधारणा तथा स्मृति पर तुलनात्मक अध्ययन करने की प्रेरणा दी और शोधकर्ता के विचार से प्रस्तुत शोधकार्य इस संदर्भ में किसी सीमा तक सहायक अवश्य सिद्ध होगा।

1.3 शोध का महत्व :

विकलांगता को वर्तमान परिपेक्ष्य में अभिशाप मानना तथा सहानुभूति, दया आदि की भावना से ग्रसित होकर उनका सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। जब तक इनके लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों, अध्यापकों एवं संचालित कार्यक्रमों का विकास इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर ना किया जाए। शिक्षक समाज के सजग प्रहरी, मार्गदर्शक एवं प्रकाश पुंज के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में भिन्नता एवं उनकी आवश्यकता में भिन्नता पाई जाती है। आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालयों में विभिन्न आवश्यकता वाले बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुछ बालकों का मानसिक एवं शारीरिक रूप से सामान्य बालकों से अलग होने की स्थिति में विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में रखते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार से विकलांगता से ग्रसित होते हैं जैसे- दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, शारीरिक विकलांगता, मानसिक न्यूनता आदि।

शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है तथा ज्ञान भण्डार को विकसित एवं परिमार्जित करता है तथा जिज्ञासा को संतुष्टि करता है। इससे व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होता है। शोध पूर्वग्रहों के निदान और निवारण में सहायक है, यह अनेक नवीन कार्यविधियों व उत्पादों को विकसित करता है तथा ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता लाता है।

शोध के माध्यम से हम वैकल्पिक नीतियों पर विचार और इन विकल्पों में से प्रत्येक के परिणामों की जांच कर सकते हैं, साथ ही यह सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करने में सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, सामाजिक विकास का सहायक है।

आज प्रत्येक क्षेत्र में इस बात का अनुभव किया जा रहा है यदि ज्ञान के विस्फोट को समझना है, प्रगति की होड़ में



आगे बढ़ना है तो इसका एक मात्र साधन शोध हो सकता है क्योंकि विश्व में हुई सभी प्रगति विभिन्न क्षेत्र में किए गए शोधों के कारण ही है। शिक्षा और मनोविज्ञान में हमारा प्रयास मानव के व्यवहार को समझने उसकी भविष्यवाणी करने तथा उस पर नियंत्रण के लिए है। इसके लिए शोध कार्य एक प्रमुख साधन है। गुड तथा स्केट का कहना है कि शिक्षा का कार्य बुद्धि का विकास करना है तथा अनुसंधान का कार्य शिक्षा का विकास करना है। अतः बुद्धिमता के विकास के लिए अनुसंधान अति महत्वपूर्ण है।

शोध के उद्देश्य

1. दृष्टि बाधित छात्रों और छात्राओं के मध्य स्मृति के सन्दर्भ में अंतर का पता लगाना।
2. श्रवण बाधित छात्रों और छात्राओं के मध्य समायोजन के सन्दर्भ में अंतर का पता लगाना।
3. श्रवण बाधित छात्रों और छात्राओं के मध्य आत्म-अवधारणा के संदर्भ में अंतर का पता लगाना।

अध्ययन में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों का परिभाषीकरण :

लघु शोध प्रबंध को उत्तम रूप प्रदान करने के लिए उसकी भाषा स्पष्ट होना अति आवश्यक है। तकनीकी शब्दों को सदैव परिभाषित करना जरूरी होता है क्योंकि एक ही शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। शोधकर्ता को अपनी समस्या में प्रयुक्त शब्दों एवं सम्प्रत्ययों को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। समस्या के परिभाषित शब्दों को स्पष्ट करने का अर्थ है कि उसे विस्तृत और भली प्रकार से सुनिश्चित बनाया जाए। प्रस्तुत शोध में भी इस तरह के कुछ शब्द हैं, जिनका विवरण अग्रलिखित प्रकार से है -

दृष्टि बाधित -

जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, दृष्टि बाधित दृष्ट का अर्थ है देखना और बाधित का अर्थ है रुकावट।

दृष्टि बाधित शब्द परंपरागत शब्द है, इसके लिए दृष्टिहीन एवं आंशिक रूप से दृष्टिहीन शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, अमेरिका में स्थापित दृष्टिहीनों के संघ ने इसके लिए दृष्टि अक्षमता, न्यून दृष्टि एवं आंशिक दृष्टि भिन्न-भिन्न शब्दों का उपयोग किया है।

दृष्टि बाधित अथवा दृष्टिहीनता को अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन और चिकित्सकीय परिभाषा के अनुसार "जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता यदि समुचित सुधारों के बावजूद 20/200 फीट या 6/60 मीटर तक रह जाती है वह दृष्टि बाधित समझा जाता है। यहां 20/200 फीट के सूचक अंक का तात्पर्य है, दृष्टि मानचित्र अथवा स्लेन चार्ट पर छपे बड़े अक्षर को जिसे सामान्य आंख 20 फीट की दूरी से ज्यादा देख सकती है दृष्टि बाधित इसे केवल 20 फीट की दूरी तक ही देख सकते हैं। इसके अलावा, अपनी दोनों आंखें बंद न करने पर भी जिसे जलते हुये प्रकाश का संवेदीकरण (प्रत्यक्षीकरण) नहीं हो पाता है तथा दिन की दृष्टि का कोणीय क्षेत्र 50° तक या इससे कम है वह भी दृष्टि बाधित, दृष्टिहीनता तथा अंधेपन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात् इन्हे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और वह अपना कार्य स्वयं करने में असमर्थ होते हैं"।



विश्व स्वास्थ्य संगठन और समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार "जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता बेहतर आंखों से दिन के प्रकाश में अच्छे सुधारक लेंसों या त्रुटि निवारक शीशे के प्रयोग के बावजूद ज्यादा नहीं पढ़ पाती या देख नहीं पाती ऐसे लोग दृष्टि बाधित अथवा दृष्टिहीन कहे जाते हैं, इसे शैक्षिक दृष्टि हीनता भी कहा जाता है" ।

अतः स्पष्ट है, कि दृष्टि बाधित के अंतर्गत आंशिक और पूर्ण दोनों ही प्रकार के दृष्टिहीन आते हैं ।

श्रवण बाधित :

जब कोई व्यक्ति सामान्य ध्वनि को सुनने में असक्षम पाया जाता है, तो उसे अक्षम कहा जा सकता है और इस अवस्था को श्रवण क्षतिग्रस्तता या श्रवण बाधिता कहा जाता है । हमारे देश में इस प्रकार की समस्या से ग्रसित प्रायः हर आयु वर्ग के लोग पाए जाते हैं, जिसके अनेकों कारण है । इसका सबसे बड़ा कारण ध्वनि प्रदूषण एवं अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं ।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (1991) के अनुसार "श्रवण बाधित उसे कहा जाता है, जो सामान्य रूप से सामान यंत्र ध्वनि को सुनने में अक्षम हो" भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार "जब बधिरता 70 डेसिमल हो, तो व्यवसायिक तथा जब 55 डेसिमल तक हो, तो उसे शिक्षा के लिए प्रयोग में लेना चाहिए" । योजना आयोग एवं विकलांगता जन अधिनियम (1995) के अनुसार "वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा, जो 60 डेसिमल या उससे अधिक डेसीमल पर सुनने की क्षमता रखता हो" । समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुसार "जब किसी व्यक्ति के एक कान में 60 डेसिमल श्रवण क्षतिग्रस्तता हो तथा दूसरा कान अच्छा हो, तो वह उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है" ।

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति सुनने में असक्षम हो तथा वह दूसरों की सहायता लेता है, उससे यह ज्ञात होता है व्यक्ति की श्रवण दोष है । श्रवण दोष एक अदृश्य एवं छुपी हुई विकलांगता है, जो देखने में नहीं दिखाई देती है ।

समायोजन :

संसार के समस्त प्राणियों के के समान बौद्धिक प्राणी मनुष्य भी दिन-रात क्रियाशील रहता है । सोना, जागना, सोचना, चिंतन करना, खेलना, कार्य करना इत्यादि सब उसकी क्रियाएं होती है । सहज क्रियाओं को छोड़कर मनुष्य की सभी क्रियाएं प्रेरकों पर आधारित होती हैं, जिनके मूल में आवश्यकताएं रहती है । इन आवश्यकताओं से प्रेरित होकर मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है तथा जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तब तनाव कम या समाप्त हो जाता है और मनुष्य को संतोष का अनुभव होता है । साधारणतया सामंजस्य की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में इसी तरह निरंतर चलती रहती है ।

समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने और पर्यावरण के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है । कुछ मनोवैज्ञानिक समायोजन को ऐसा व्यवहार बताते हैं जिसका उद्देश्य



तनाव कम करना होता है ।

कॉलमैन के अनुसार "समायोजन व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कठिनाइयों का सामना करने के प्रयास का परिणाम है" ।

बोरिंग, लैंगफील्ड तथा वेल्ड के शब्दों में "समायोजन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है" ।

गेट्स व अन्य के अनुसार "समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है" ।

शेफर व शोबेन के अनुसार "समायोजन एक प्रक्रिया है" । आइजनेक (1972) और उनके साथियों के अनुसार "समायोजन वह अवस्था है, जिसमें एक ओर व्यक्ति की आवश्यकताएँ, दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण संतुष्टि होती है अथवा यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में सामंजस्य प्राप्त होता है" ।

आत्म-अवधारणा :

आत्म-अवधारणा का अर्थ है स्वयं की खोज, सभी क्षेत्रों में स्वयं के प्रति अपनाया गया दृष्टिकोण। आत्म-अवधारणा के अंतर्गत 'आत्म छवि', 'आत्म मूल्यांकन' और 'आत्म संप्रत्यय' तीनों ही शब्द आते हैं । आत्म-अवधारणा शब्द के लिए एरिकसन एवं उसके अनुयायियों ने 'पहचान' शब्द का प्रयोग किया है । डॉ० एस०एस० माथुर के अनुसार "एक व्यक्ति जिस प्रकार से अपना प्रत्यक्षीकरण करता है अथवा जिस ढंग से अपने को देखता है उसे व्यक्ति की आत्म-अवधारणा कहते हैं" । रोजर्स के अनुसार "प्रत्येक व्यक्ति आदर्श स्व तक पहुंचने के लिए प्रयासरत रहता है । आदर्श स्व वह किसी व्यक्ति या कोई समाज पूर्ण रूप से स्वीकार्य एवं अपेक्षित समझता है" ।

जॉन टर्नर द्वारा विकसित आत्म वर्गीकरण सिद्धांत के अनुसार "आत्म-अवधारणा में कम से कम दो स्तर नहीं माने जाते हैं : एक व्यक्तिगत पहचान से संबंधित है और दूसरा सामाजिक पहचान से संबंधित है" ।

भारतीय संदर्भ में "आत्म-अवधारणा एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित होने वाली एक अवधारणा है" ।

महर्षि अरविंद ने मानवीय विकास की पूर्णता की प्राप्ति के लिए आत्म-अवधारणा का विकास आवश्यक माना । आत्म-अवधारणा से उनका अभिप्राय "व्यक्ति के मन और आत्मा की शक्तियों के सर्वांगीण तथा समग्र विकास से है । व्यक्ति को मुक्त एवं स्वच्छन्द वातावरण प्राप्त होने पर उसमें आत्म-अवधारणा का संभाव्य विकास हो सकता है" । महर्षि अरविंद ने समग्र रूप से आत्म-अवधारणा को भौतिक, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक तथा आध्यात्मिक पक्षों से निर्मित माना । इनके पूर्ण संतुलित विकास से ही व्यक्ति के आत्म-अवधारणा का पूर्ण विकास संभव है।

स्मृति :



स्मृति एक मानसिक क्रिया है। स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है, इसका पुनरुत्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है। हमारे बहुत से मानसिक संस्कार स्मृति के माध्यम से ही जागृत होते हैं। स्टर्ट एवं ओकडन के अनुसार "स्मृति एक जटिल शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है, जिसे हम थोड़े शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि हम किसी वस्तु को छूते, देखते, सुनते, या सूँघते हैं तब हमारे ज्ञात वाहक तंतु उस अनुभव को हमारे मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में पहुंचा देते हैं। ज्ञान केंद्र में उस अनुभव को की प्रतिमा बन जाती है जिसे छाप कहते हैं। यह छाप वास्तव में उस अनुभव की स्मृति चिन्ह होती है जिसके कारण मानसिक रचना के रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है। यह अनुभव कुछ समय तक हमारे चेतन मन में रहने के बाद अचेतन मन में चला जाता है और हम उसको भूल जाते हैं। उस अनुभव के अचेतन मन में संचित रखने और चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं"।

स्किनर के अनुसार "पूर्व अनुभवों को अचेतन मन में संचित रखने और आवश्यकता पड़ने पर चेतन में लाने की शक्ति को स्मृति कहते हैं"।

वुडवर्थ के अनुसार "जो बात पहले सीखी जा चुकी है, उसे स्मरण करना ही स्मृति है"।

स्टाउट के अनुसार "स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है"।

मैकडूगल के अनुसार "स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी कि ये अतीत के अनुभव हैं"।

निष्कर्ष

दृष्टिबाधित छात्रों की अपेक्षा दृष्टिबाधित छात्राओं में दीर्घकालिक स्मृति होती है अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में लिंग स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। श्रवण बाधित छात्रों की तुलना में श्रवण बाधित छात्राओं में अल्पकालिक स्मृति निम्न होती है। अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों में लिंग स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की तुलना में श्रवण बाधित विद्यार्थियों में स्मृति क्षमता अल्पकालिक होती है अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों की अपेक्षा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में स्मृति क्षमता अधिक पाई जाती है।

सन्दर्भ

1. एलपोर्ट, जी डब्ल्यू (1960) में राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। व्यक्तित्व: एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या, मा ग्रा हिल सी न्यू यॉर्क, वॉल्यूम। 12, पी 32.
2. अम्मरमन, रॉबर्ट थॉम्पसन (1986)। विकलांग किशोरों और उनके परिवारों में सामाजिक समायोजन, निबंध सार अंतर्राष्ट्रीय वॉल्यूम। 47, P.12, जून 1987
3. Aplin D. Y. (1987)। सामान्य और विशेष स्कूलों में श्रवण बाधित बच्चों का सामाजिक और भावनात्मक



समायोजन, शैक्षिक अनुसंधान, खंड, 29 (1), पीपी.56-64

4. अनॉल्ड, पी। और एटकिंस, जे (1991)। प्राथमिक स्कूलों में एकीकृत श्रवण बाधित बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक समायोजन। शैक्षिक अनुसंधान, वॉल्यूम, 33 (3) .pp 233-227
5. अरुणा, ज्योति और रेड्डी रमण जे.वी. (1996)। समायोजन का एक तुलनात्मक अध्ययन और सुनवाई-बिगड़ा और सामान्य बच्चों के आत्म-संकल्पना, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के जर्नल, (1996)। वॉल्यूम। 40, नंबर 1 और 2, पीपी। 6-10। ASCH, S.E. (1952)। सामाजिक मनोविज्ञान। एंगल वूफ़ क्लिफ़्स प्रेंटिस, हॉल
6. एटकिंसन, आर.सी. और शिफ़िरन, आर। एम। (1968) मेमोरी प्रभाव - एक प्रस्तावित प्रणाली और इसके नियंत्रण की प्रक्रिया।
7. K. W. Spence और J. T. Spence (Eds) ने उनके दर्शन को सीखने और प्रेरित करने के लिए रिसर्च एंड थ्योरी vol। न्यूयॉर्क, अकैडमिक प्रेस, pp.8
8. बैडले, A. D. (1970) में लिखा। फ्री रिकॉल, ब्रिटिश में शॉर्ट-टर्म कंपोनेंट का अनुमान। जे साइकोल। (1970) .Vol। 61, पीपी। 13-15 9-195
9. बैडले, ए। डी। थॉमसन, एन एंड बुकमैन, एम। (1973)। शॉर्ट टर्म मेमोरी का वर्ड, लेंथ और थियो स्ट्रक्चर। जर्नल ऑफ़ वर्बल लर्निंग एंड वर्बल बिहेवियर, वॉल्यूम। 141.pp.575-589
10. बैडले, ए। डी। स्कॉट, डी।, डेयान, आर एंड स्मिथ, जे.सी. (1969)। एसटीएम और सीमित क्षमता परिकल्पना, ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ साइकोलॉजी, वॉल्यूम। 60, पीपी। 51-55
11. बैडले, ए डी (1970)। न्यूनतम जोड़ीदार शिक्षण, ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ साइकोलॉजी, वॉल्यूम में ध्वनिक और अर्थ संबंधी समानता। 61, पीपी 335-343
12. बाला, एम। (1985)। शारीरिक रूप से विकलांग और सामान्य बच्चों को अप्रकाशित पीएचडी थीसिस (शिक्षा), कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
13. बाला, एम। (1985) के लिए मानसिक श्रृंगार और शैक्षिक सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन। शारीरिक रूप से विकलांग और सामान्य बच्चों के लिए मानसिक मेकअप और शैक्षिक सुविधाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन। पीएचडी थीसिस (शिक्षा), कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, भारत।
14. बाला, एस। (2009)। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संकट, भारतीय मनोवैज्ञानिक समीक्षा, वॉल्यूम के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का अध्ययन। 72, नंबर 4 पीपी 227-234
15. बनमाली, मोहंती (1980)। इंटेलिजेंस एंड शॉर्ट-टर्म मेमोरी, भारतीय मनोवैज्ञानिक समीक्षा, वॉल्यूम पर सामाजिक-सांस्कृतिक नुकसान के प्रभाव। 19, नंबर 4, पी। 17-24